

छत्तीसगढ़ शासन
कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा,
एवं रोजगार विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर
// आदेश //

नया रायपुर, दिनांक/02.02.2017

क्रमांक एफ 1-60/2014/तक.शि./42 :: राज्य शासन, एतद्वारा, लोक सेवा आयोग छत्तीसगढ़ के माध्यम से चयन किये गये निम्नांकित उम्मीदवारों को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 02 वर्ष की परीवीक्षा अवधि पर छ.ग. तकनीकी शिक्षा (शिक्षण संवर्ग-पॉलीटेक्निक) (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 2014 के तहत व्याख्याता (कॉस्ट्यूम डिजाइन एवं ड्रेस मेकिंग) प्रथम श्रेणी के पद पर वेतनमान रु. 15,600-39,100/- +ग्रेड वेतन रु. 5,400/- (एं.आई.सी.टी.ई) एवं समय समय पर स्वीकृत भत्तों पर नियुक्त किया जाकर अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक उनके नाम के समक्ष दर्शायी गयी संस्थाओं में पदस्थ करता है:-


स. क्र.	चयनित व्याख्याता का नाम	विषय	पदस्थापना का स्थान
1	2	3	4
1	अंजली जैन	कॉस्ट्यूम डिजाइन एवं ड्रेस मेकिंग	शासकीय कन्या पॉलीटेक्निक जगदलपुर
2	हुमिका ताम्रकार	कॉस्ट्यूम डिजाइन एवं ड्रेस मेकिंग	शासकीय कन्या पॉलीटेक्निक राजनांदगांव

2/ उपरोक्त नियुक्तियां निम्न शर्तों के अधीन होंगी:-

- (क) नियुक्त अधिकारी को आदेश जारी होने की तिथि से 15 दिनों के अन्दर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
- (ख) छत्तीसगढ़ शासकीय सेवा (अस्थायी तथा अर्द्धस्थायी) सेवा नियम -1988 के नियम -12 के अनुसार संबंधित व्यक्ति की सेवाएं किसी भी समय किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर समाप्त की जा सकेंगी। संबंधित व्यक्ति द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते का भुगतान किये बिना शासकीय सेवा छोड़ने पर उक्त शर्तों के अन्तर्गत एक माह के वेतन के बराबर देय राशि संबंधित व्यक्ति से भू-राजस्व की बकाया की भांति वसूली योग्य होगी।
- (ग) चयनित प्रत्याशी को पदस्थापना स्थान तक जाने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
- (घ) छत्तीसगढ़ तकनीकी शिक्षा (शिक्षण संवर्ग-पॉलीटेक्निक) (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 2014 के नियम-13(1) के अनुसार यह नियुक्तियां 02 वर्ष की कालावधि के लिये परीवीक्षा पर होगी तथा नियम -13(2) के अनुसार यदि कार्य असंतोषप्रद पाया जाता है, तो नियुक्त प्राधिकारी द्वारा परीवीक्षा की कालावधि, अधिकतम 01 वर्ष तक की अवधि के लिये बढ़ायी जा सकेगी। नियम-13(3) के अनुसार परीवीक्षा की कालावधि या बढ़ाई गई कालावधि के दौरान या परीवीक्षा की कालावधि के अंत में, यदि नियुक्त प्राधिकारी की राय में कोई विशेष अभ्यर्थी, अधिकारी बनने हेतु उपयुक्त नहीं है, तो ऐसे परीवीक्षाधीन अधिकारियों की सेवायें समाप्त की जा सकेंगी।

- (ड.) चयनित प्रत्याशियों को अपना स्वस्थता (मेडिकल) प्रमाण पत्र चिकित्सा मंडल से देना अनिवार्य होगा। अयोग्य पाये जाने पर सेवायें तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी।
- (च) यह नियुक्ति चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन के समाधान कारक पाये जाने की प्रत्याशा में की जा रही है अतः जिन प्रत्याशियों के पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन में विपरीत टिप्पणी होगी, उनकी सेवा समाप्त कर दी जावेगी। इस संबंध में संबंधित अभ्यर्थी को एक नॉन ज्यूडिशियल शपथ पत्र कार्यभार ग्रहण के समय देना आवश्यक होगा।
- (छ) आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा उनकी सेवायें समाप्त कर दी जावेगी।
- (ज) चयनित अभ्यर्थियों के अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता तथा अनुभव एवं अन्य प्रमाण पत्रों संबंधी मूल दस्तावेजों का सूक्ष्म परीक्षण/ विधिवत सत्यापन करने के उपरांत ही संबंधित संस्था के प्राचार्य द्वारा कार्यभार ग्रहण कराया जावेगा।
- (झ) चयनित अभ्यर्थियों की वरिष्ठता का निर्धारण छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा संसूचित प्रावीण्यता सूची के आधार पर किया जावेगा।
- 3/ नियुक्तियों में आरक्षण संबंधी प्रावधानों का ध्यान रखा गया है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार



(वाय.पी. दुपारे)
अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा,
एवं रोजगार विभाग
नया रायपुर दिनांक/01.02.2017

पृष्ठां. क्रमांक एफ 1-60/2014/तक.शि./42,
प्रतिलिपि :-

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, छत्तीसगढ़ शासन, कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा, एवं रोजगार विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर
2. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर।
3. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, शंकर नगर रोड, रायपुर।
4. आयुक्त सह सचिव, तकनीकी शिक्षा संचालनालय, इंद्रावती भवन, नया रायपुर की ओर विभागीय वेबसाईट में अपलोड कराने हेतु अग्रेषित।
5. संचालक, जनसंपर्क विभाग, इंद्रावती भवन, नया रायपुर।
6. कलेक्टर, जिला बस्तर/राजनांदगांव (छ0ग0)
7. जिला कोषालय अधिकारी बस्तर/राजनांदगांव (छ.ग.)

8. प्राचार्य, शासकीय कन्या पॉलीटेक्निक जगदलपुर/राजनांदगांव (छ0ग0)
9. संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/ सिविल सर्जन सह-मुख्य अस्पताल अधीक्षक, छ.ग.।
10. नियंत्रक/ उप संचालक शासकीय मुद्रणालय रायपुर/ राजनांदगांव की ओर राजपत्र में प्रकाशन हेतु।
11. संबंधित अधिकारी.....।
12. मास्टर फाईल तकनीकी शिक्षा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा,
एवं रोजगार विभाग